संख्या-6/2017/1128/94-1-2017-312(31)/2017

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2017**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में उपलब्ध धनराशि से शासकीय प्रयोगार्थ प्रतिस्थापना के आधार पर एक मारूति सियाज वी0डी0आई0 के मूल्य में वृद्धि के कारण अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1539/नौ-104/शि0का0लख0/2017 दिनांक 11.05.2017 एवं पत्र संख्या-1862/शि0का0लख0/2017 दिनांक 08.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/विवरण पर विचारोपरान्त वाहन सियाज डेल्टा स्मार्ट हाई-ब्रिड के ई-मार्केट प्लेस ऑफ डी0जी0एस0 एण्ड डी मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2/2017/575/94-1-2017-312(31)/2017 दिनांक 31-03-2017 द्वारा दी गई रूपये 686127 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त उक्त वाहन के क्रय हेतु वर्तमान में बताये गये मूल्य रूपये 770698/- के अन्तर की धनराशि रू0 84,571/- (रूपये चौरासी हजार पॉच सौ इकहत्तर) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

i. अन्तर की धनराशि के सम्बन्ध में आप अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
ii. स्वीकृत नये वाहन का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ई-मार्केट प्लेस ऑफ डी0जी0एस0 एण्ड डी दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता व दर की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि चोरी हुए वाहन बोलेरो संख्या- यू0पी0 70 जी 0547 के स्थान पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्व में नया वाहन न क्रय किया गया हो एवं उक्त वाहन के सम्बन्ध में नियमानुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण करके अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जायेंगी।

3- उक्त व्यय अनुदान संख्या-91 के राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 मुख्यालय मद-14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-9-266/दस-2017 दिनांक 12-07-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रांजल यादव
विशेष सचिव।

संख्या-6/2017/1128(1)/94-1-2017-312(31)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-12 इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6. गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।